# अनुदान संख्या 87 – सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
# GRANT No. 87–DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

| | | | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | | |
| *प्रभारित-* | *Charged–* | | | | | |
| *मूल* | *Original* | *50,00* | | *80,00* | *48,40* | *–31,60* |
| *पूरक* | *Supplementary* | *30,00* | | | | |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | | *शून्य Nil* |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 12956,73,00 | | 13924,23,00 | 13753,20,82 | –171,02,18 |
| पूरक | Supplementary | 967,50,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 110,65,16 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | | |
| *प्रभारित-* | *Charged–* | | | | | |
| *मूल* | *Original* | *7,00,00* | | *10,84,00* | *6,09,03* | *–4,74,97* |
| *पूरक* | *Supplementary* | *3,84,00* | | | | |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | | *8,00* |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 13346,26,00 | | 13895,76,00 | 13495,68,99 | –400,07,01 |
| पूरक | Supplementary | 549,50,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 365,19,00 |

*टीका और टिप्पणियां*

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में कुल बचतें *(31.60 लाख रु.)* फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए *30.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 40 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

***Notes and comments***

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(Rs.31.60 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.30.00 lakhs* obtained in February, 2009 and constituted 40 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल विनियोग Total appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | | |
| *मू.* | *O.* | *50.00* | | | |
| | | | *80.00* | *48.40* | *–31.60* |
| *पू.* | *S.* | *30.00* | | | |

(I) "योजनेतर अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन सड़क निर्माण कार्य'' के अंतर्गत *50.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *30.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *80.00 लाख रु.* कर दिया गया। तथापि, *31.60 लाख रु.* की बचत (पूरक *विनयोग* सहित) एमएसीटी पुरस्कारों/अभिनिर्णयों के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(I) Under "Non-Plan Grants – Strategic and Border Roads – Road Works - Road Works under BRDB" – the original *appropriation* of *Rs.50.00 lakhs* was augmented to *Rs.80.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.30.00 lakhs.* However, there was a saving of *Rs.31.60 lakhs* (including supplementary *appropriation*) – due to non-materialisation of MACT awards/verdicts.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (17102.18 लाख रु.) अक्तूबर, 2008, दिसम्बर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 96750.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 18 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.17102.18 lakhs) constituted 18 percent of the supplementary grants of Rs.96750.00 lakhs obtained in October, 2008, December, 2008 and February, 2009 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ।

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | Major Head "3451" Secretariat - Economic Services | | | | | |
| मू. | O. | 5698.00 | | | | |
| पू. | S. | 1394.00 | | 7532.44 | 7297.09 | –235.35 |
| पु. | R. | 440.44 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु | Major Head "3054" Roads and Bridges | | | | | |
| मू. | O. | 986115.00 | | | | |
| पू. | S. | 21241.00 | | 1004410.93 | 1003428.12 | –982.81 |
| पु. | R. | –2945.07 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3055" सड़क परिवहन | Major Head "3055" Road Transport | | | | | |
| मू. | O. | 18000.00 | | | | |
| | | | | 14600.00 | 12338.82 | –2261.18 |
| पु. | R. | –3400.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | | | |
| मू. | O. | 279256.00 | | | | |
| पू. | S. | 74115.00 | | 349938.47 | 347471.79 | –2466.68 |
| पु. | R. | –3432.53 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments | | | | | |
| मू. | O. | 6604.00 | | | | |
| | | | | 4876.00 | 4785.00 | –91.00 |
| पु. | R. | –1728.00 | | | | |

(I) 1751.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1700.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3055'' - ''अनुसंधान - निरीक्षण और रख-रखाव केंद्र'' - 700.00 लाख रु. निरीक्षण और रख-रखाव केंद्र की रूपरेखा संबंधी अध्ययन रिपोर्ट देर से प्राप्त होने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - आर्थिक महत्व की अंतर्राज्यीय सड़कें'' - 1000.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''सड़कों का रख-रखाव'' - 28463.57 लाख रु. के मूल प्रावधान को 84.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 28547.57 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1915.07 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पुन: सतहीकरण के लक्ष्यों में कमी किए जाने और सड़क के कुछ भागों को रख-रखाव के लिए लोक निर्माण कार्य विभाग को सौंपे जाने के कारण हुई।

(खा) ''हवाई ढुलाई प्रभार'' - 756.06 लाख रु. के मूल प्रावधान को 69.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 825.06 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, वायु सेना द्वारा हवाई ढुलाई सुविधा उपलब्ध न कराए जाने के कारण 91.16 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.1751.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.1700.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "3055" – "Research – Inspection and Maintenance Centre"- Rs.700.00 lakhs - due to non-finalisation of the scheme owing to late receipt of study report on the features of Inspection and maintenance centre.

(B) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Grants from Central Road Fund – Roads of Inter-State or Economic Importance" - Rs.1000.00 lakhs – due to non-receipt of any proposals from the Union Territory Governments.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants – Strategic and Border Roads – Road Works" – remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(A) "Road Maintenance" – the original provision of Rs.28463.57 lakhs was augmented to Rs.28547.57 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.84.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1915.07 lakhs (including supplementary grant) – due to reduction in resurfacing targets and handing over of some road stretches to State Public Works Departments for maintenance.

(B) "Air Lift Charges" – the original provision of Rs.756.06 lakhs was augmented to Rs.825.06 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.69.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.91.16 lakhs (including supplementary grant) - due to non-availability of Air Lifts Air Force.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3054'' - ''सामरिक महत्व की सीमा सड़कें'' -

(क) ''सड़क निर्माण कार्य'' -

(i) ''सड़कों का रख-रखाव'' - 134.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 11.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 145.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, कम घटनाओं की वजह से बाढ़ क्षति मरम्मतों के लक्ष्य में कमी किए जाने और राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ भागों को रख-रखाव के लिए राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे जाने के कारण 8.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) ''सीमा सड़क स्कंध द्वारा रख-रखाव'' - 8345.40 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3032.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 11377.40 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, कम घटनाओं की वजह से बाढ़ क्षति मरम्मत के लक्ष्यों में कमी कर दिए जाने के कारण 496.21 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''अन्य व्यय - सड़क निर्माण कार्य'' - 2250.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2604.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4854.60 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और लक्ष्य में कमी किए जाने के कारण 312.64 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - राज्य सड़कों के लिए अनुदान - 160582.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 210582.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण 3283.97 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "3054" – "Strategic and Border Roads"-

(a) "Road Works" -

(i) "Road Maintenance" - the original provision of Rs.134.00 lakhs was augmented to Rs.145.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.11.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.8.10 lakhs - due to reduction in target on flood damage repairs owing to less occurrence and handing over of certain stretches of NH to State Public Works Departments for maintenance.

(ii) "Maintenance by Border Roads Wing" - the original provision of Rs.8345.40 lakhs was augmented to Rs.11377.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3032.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.496.21 lakhs - due to reduction in targets of flood damage repairs owing to less occurrence.

(b) "Other Expenditure – Road Work" – the original provision of Rs.2250.60 lakhs was augmented to Rs.4854.60 lakhs by obtaining a supplementary grant of Rs.2604.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.312.64 lakhs – due to receipt of less proposals and reduction in target.

(B) Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes – Grants from Central Road Fund – Grants for State Roads" – the original provision of Rs.160582.00 lakhs was augmented to Rs.210582.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.3283.97 lakhs – due to receipt of less proposals from the State Governments.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3054'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''राष्ट्रीय राजमार्ग'' -

(क) ''मशीनरी और उपस्कर - मशीनरी और उपस्करों का रख-रखाव'' - 176.98 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से रख-रखाव संबंधी प्रस्ताव के प्राप्त न होने और राज्य सरकारों द्वारा संबंधित वेतन तथा लेखा कार्यालयों को संबंधित लेखे प्रस्तुत किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) ''सड़क निर्माण कार्य -

(i) ''सीमा सड़क स्कंध द्वारा रख-रखाव'' - 360.85 लाख रु. की बचत (2635.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लक्ष्यों में कमी किए जाने और राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ भागों को रख-रखाव के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग को अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण'' - 195.69 लाख रु. की बचत (240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायाधीशों और अन्य अधीनस्थों के रिक्त पदों को भरे न जाने और अधिकरण कार्यालयों के स्थापित न किए जाने के कारण हुई।

(iii) ''राजमार्ग प्रशासन'' - 240.03 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारियों से वित्तीय सहायता के अनुरोध कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - अन्य व्यय - भूटान प्रतिपूरक भत्ता'' - 319.93 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूटान प्रतिपूरक भत्ते की बकाया राशि की अदायगी के लिए समायोजन के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3054" – savings occurred under the following heads:-

(A) "National Highways" –

(a) "Machinery and Equipment - Maintenance of Machinery and Equipments" - saving of Rs.176.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments for maintenance and delay in submission of relevant accounts to the respective PAOs by State Governments.

(b) "Road Works" -

(i) "Maintenance By Border Roads Wing"- saving of Rs.360.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2635.00 lakhs) was due to reduction in targets and transfer of some stretches of National Highways to State Public Works Departments for maintenance.

(ii) "National Highways Tribunals" - saving of Rs.195.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.240.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts of judges and other subordinates and non-setting up of tribunal offices.

(iii) "Highway Administrations"- saving of Rs.240.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less receipt of request of financial assistance from the concerned National Highway Authorities.

(B) "Strategic and Border Roads - Other Expenditure – Bhutan Compensatory Allowance" – saving of Rs.319.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to non-materialisation of adjustment for the arrears payment of Bhutan Compensatory Allowance.

(गा) ''जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान'' - 861.00 लाख रु. की बचत (978.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) ''सामान्य - अनुसंधान और विकास - राजमार्ग अनुसंधान'' - 899.92 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और अनुसंधान और विकास प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3055'' - ''अनुसंधान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) ''सड़क सुरक्षा'' - 2021.19 लाख रु. की बचत (7300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''आदर्श चालक प्रशिक्षण विद्यालय'' स्थापित किए जाने की स्कीम के अनुमोदन में विलंब होने और टाटा मोटर्स लिमिटेड/इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यम से रोगी वाहन की खरीद के बिलों और गैर-सरकारी संगठनों से की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''राष्ट्रीय आंकड़ा आधार तंत्र'' - 459.99 लाख रु. की बचत (7500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्ययन क्षेत्रों की देर से पहचान किए जाने की वजह से अध्ययन सौंपे जाने की प्रक्रिया के पूरे न होने और तीन अध्ययनों के संबंध में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार और सुदृढ़ीकरण'' - 2479.00 लाख रु. की बचत (2499.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - राज्य राजमार्ग (सड़कें और सेतु) - अन्य अनुदान - आर्थिक महत्व की सड़कें'' के अंतर्गत 3500.00 लाख रु. की बचत (7500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुगल सड़कों के लिए व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "District and Other Roads – Road Works – Grants from Central Road Fund to U.T. Governments without Legislature" - saving of Rs.861.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.978.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Union Territory Governments.

(D) "General - Research and Development – Highway Research" - saving of Rs.899.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and non-finalisation of research and development proposals.

(V) Under Major Head "3055" – "Research"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Road Safety"- saving of Rs.2021.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7300.00 lakhs) was due to delay in approval of the scheme for setting-up "Model Drivers Training School" and non-receipt of bills for purchase of ambulance from TATA Motors Ltd./Electronic Media and action taken report from NGOs.

(B) "National Data Base Network" - saving of Rs.459.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs) was due to non-completion of procedure for award of studies owing to late identification of study areas and non-receipt of final report in respect of 3 studies.

(C) "Improving and strengthening of Public Transport System" – saving of Rs.2479.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2499.00 lakhs) was due to late approval of the scheme by Planning Commission.

(VI) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - State Highways (Roads & Bridges) – Other Grants – Roads of Economic Importance" - saving of Rs.3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs) was due to non-approval of Expenditure Finance Committee for Mughal Roads.

(VII) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं-

(VII) Under Major Head "3602"- "Grants for Union Territory Plan Schemes-Grants from Central Road Fund" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''दिल्ली में सड़कें'' - 716.00 लाख रु. की बचत (4845.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Roads in Delhi" – saving of Rs.716.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4845.00 lakhs); and

(खा) ''पांडिचेरी में सड़कें'' - 103.00 लाख रु. की बचत (759.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Roads in Pondicherry"- saving of Rs.103.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.759.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from Union Territory Governments.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (440.44 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय'' के अंतर्गत 1394.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 205.09 लाख रु. था।

3.(I) The above savings were partly (Rs.440.44 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.1394.00 lakhs under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Road Transport and Highways". Actual excess, however, was Rs.205.09 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन सड़क निर्माण कार्य'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 2965.39 लाख रु. का अधिक व्यय (22789.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 77412.43 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामान्य राज्य सड़कों को पूरा करने की निर्धारित तारीख से मिलान के लक्ष्यों में वृद्धि किए जाने और अधिक बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601"- "Non-Plan Grants – Strategic and Border Roads – Road Works – Road Works under BRDB" – excess of Rs.2965.39 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.77412.43 lakhs including supplementary grant of Rs.22789.00 lakhs) was due to enhancement of targets match with the planned date of completion on General State Roads and clearance of more bills.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(474.97 लाख रु.)* फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए *384.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 44 प्रतिशत थीं।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings *(Rs.474.97 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.384.00 lakhs* obtained in February, 2009 and constituted 44 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

| शीर्ष | Head | | कुल विनियोग Total appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष ''5054'' सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges | | | | |
| *मू.* | *O.* | *700.00* | | | |
| *पू.* | *S.* | *384.00* | *1076.00* | *609.03* | *–466.97* |
| *पु.* | *R.* | *–8.00* | | | |

(I) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन निर्माण कार्य'' के अंतर्गत *100.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *384.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *484.00 लाख रु.* कर दिया गया जो, तथापि, *44.59 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(I) Under "Strategic and Border Roads – Road Works - Works under BRDB" - the original *appropriation* of *Rs.100.00 lakhs* was augmented to *Rs.484.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.384.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.44.59 lakhs;* and

(II) ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य'' के अंतर्गत *430.38 लाख रु.* की बचत (*600.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

(II) Under "National Highways – Roads Works – Works under Roads Wing" – saving of *Rs.430.38 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.600.00 lakhs*).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें बाढ़ क्षति मरम्मत प्रभारों और समायोजन निर्माण कार्यों के लक्ष्यों में कमी किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to reduction in targets for flood damage repair charges and accn works.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (40007.01 लाख रु.) दिसम्बर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 54950.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 73 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.40007.01 lakhs) constituted 73 percent of the supplementary grants of Rs.54950.00 lakhs obtained in December, 2008 and February, 2009 and 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 120000.00 | | | |
| पू. | S. | 500.00 | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –120500.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''5054'' सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges | | | | |
| मू. | O. | 1176726.00 | | | |
| पू. | S. | 54450.00 | 1315157.00 | 1311668.99 | –3488.01 |
| पु. | R. | 83981.00 | | | |

(I) 120500.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़कें और सेतु) - सड़क निर्माण कार्य'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''सड़क स्कंध और सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन सड़क विकास निर्माण कार्य'' - 500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान; और

(खा) ''पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम'' - 120000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के

(I) Provision of Rs.120500.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "4552" - "National Highways (Roads & Bridges) – Road Works"- under the following heads:-

(A) "Road Development works under Roads Wing and BRDB" – supplementary grant of Rs.500.00 lakhs; and

(B) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas" – Rs.120000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "5054" – "Strategic and Border Roads – Road Works – Works under

अंतर्गत निर्माण कार्य'' - 99100.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 4450.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 103550.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, बाढ़ क्षति मरम्मत और समायोजन निर्माण कार्यों के लक्ष्यों में कमी किए जाने के कारण 636.57 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''राष्ट्रीय राजमार्ग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''मशीनरी और उपस्कर - मशीनरी और उपस्कर'' - 744.54 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा जारी किए जाने की प्रक्रिया के पूरा न होने और ड्रम मिक्स प्लांट और हाइड्रालिक एक्सकेवेटर की अधिप्राप्ति संबंधी बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''स्थायी सेतु - राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी सेतु शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य'' - 2128.61 लाख रु. की बचत (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

6. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) ''सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य'' - 20590.44 लाख रु. का अधिक व्यय (50000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 420379.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) ''पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम'' - 63412.27 लाख रु.का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4552'' कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

BRDB" – the original provision of Rs.99100.00 lakhs was augmented to Rs.103550.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4450.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.636.57 lakhs – due to reduction in targets for flood damage repair and Accn Works.

(III) Under Major Head "5054" - "National Highways" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Machinery and Equipment – Machinery and Equipment" - saving of Rs.744.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-completion of tendering process and non-receipt of bills for procurement of Drum Mix Plant and Hydraulic Excavator.

(B) "Permanent Bridges – Work Financed from National Highways Permanent Bridges Fees Fund" - saving of Rs.2128.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments.

6. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5054" – "National Highways - Road Works" - under the following heads:-

(I) "Works under Roads Wing" – excess of Rs.20590.44 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.420379.00 lakhs including supplementary grant of Rs.50000.00 lakhs); and

(II) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas" – excess of Rs.63412.27 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

## 7. *केन्द्रीय सड़क निधि:-*

इस निधि का वित्तपोषण कर लगाए गए मोटर स्पिरिट (विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क से प्राप्त आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लीटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000-01 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर 1/- रु. प्रति लीटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनर्संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्प के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती है।

*वर्ष 2008-2009 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-*

## 7. *Central Road Fund:-*

The fund is financed from part (3.5 paise per litre) of the proceeds of Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provisions of 2000-01 an additional tax of Re. 1/- per litre has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. This additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

*The Account of the Fund for 2008-2009 was as follows:-*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | | |
|---|---|---|
| अथशेष | Opening Balance | 4051,24,84 |
| प्राप्तियां | Receipts | 8829,85,00 |
| अदायगियां | Payments | 9270,12,21 |
| अंतशेष | Closing Balance | 3610,97,63 |

## 8. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि:-

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत 25.00 लाख रु. से अधिक और 100.00 लाख रु. तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने 100.00 लाख रु. से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों

## 8. *National Highways Permanent Bridges Fees Fund:-*

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than Rs.25.00 lakhs and upto Rs.100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and there after all the bridges costing more than Rs.100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments

की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में ''राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि'' को अंतरित कर दिया जाता है। संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

*वर्ष 2008-2009 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-*

are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National Highways Permanent Bridges Fee Fund" in the Public Accounts of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilised for development of National Highways.

*The Account of the Fund for 2008-2009 was as follows:-*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | | |
|---|---|---|
| अथशेष | Opening Balance | 341,44,96 |
| प्राप्तियां | Receipts | 72,39,00 |
| अदायगियां | Payments | 68,71,39 |
| अंतशेष | Closing Balance | 345,12,57 |